# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर

दूरभाष क्रमॉक : 07792–230832, ई–मेल : **delectnar@mp.gov.in**

क्रमांक/ 923 /निर्वा.लेखा./2018 नरसिंहपुर, दिनॉक –10 अगस्त 2018

## निविदा सूचना

(सी.सी.टीव्ही हेतु निविदा)

- विधानसभा चुनाव 2018 एवं आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यो की विडियो फुटेज (रिकार्डिग) हेतु सी.सी.टीव्ही कैमरा निविदा प्रपत्र अनुसार सील बंद निविदायें दिनांक 30.08.2018 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 30.08.2018 तक कार्यालयीन समय में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर राशि 20000/– रूपया (अंकनः– बीस हजार रूपया मात्र/– ) जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
- निविदा शर्ते, सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक 30.08.2018 तक प्राप्त की जा सकती है। निविदाये उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को कार्यालयीन समय 02.30 से 3.00 बजे तक से खोली जावेगीं।

कलेक्टर<br>
एवं<br>
जिला निर्वाचन अधिकारी,<br>
नरसिंहपुर

पृ0क्रमांक/ 924 /निर्वा0लेखा0/2018 नरसिंहपुर दिनांक 10 अगस्त 2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।
2. अपर कलेक्टर नरसिंहपुर।

कलेक्टर<br>
एवं<br>
जिला निर्वाचन अधिकारी,<br>
नरसिंहपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर

दूरभाष क्रमॉक : 07792–230832, ई–मेल : delectnar@mp.gov.in

(सी.सी.टीव्ही हेतु निविदा प्रपत्र)

निविदाकार का नाम .............................................................

Tenderer's name .............................................................

फर्म का नाम .............................................................

Name of company .............................................................

| क्र. | सी.सी.टी.टी.व्ही | | प्रस्तावित दरें | |
|---|---|---|---|---|
| | कैमरों की संख्या | अवधि | सेटअप चालू करने एवं रख–रखाव तथा बेकअप सहित ) दर | सेटअप चालू करने रख–रखाव, बेकअप तथा बेब कार्स्टिग सहित ) दर |
| 1 | 08 कैमरे का सेटअप | 30 दिवस हेतु | | |
| 2 | 12 कैमरे का सेटअप | 30 दिवस हेतु | | |
| 3 | 16 कैमरे का सेटअप | 30 दिवस हेतु | | |
| 4 | 20 कैमरे का सेटअप | 30 दिवस हेतु | | |
| 5 | 02 कैमरे का सेटअप | 3 दिवस हेतु | | |
| | योग | | | |

**नोट– कैमरों की संख्या में तथा अवधि में कमी/बेशी की जा सकती है। उक्त स्थिति में किराये का भुगतान अनुपातिक रूप में कम या ज्यादा किया जायेगा।**

**दिनांकः–**

**स्थानः–**

निविदाकार हस्ताक्षर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर

दूरभाष क्रमॉक : 07792–230832, ई–मेल : delectnar@mp.gov.in

विधानसभा चुनाव 2018 एवं आगामी लोकसभा चुनाव 2019 बेवकैमरा, सी0सी0टी0व्ही0, टी0व्ही0, डी0टी0एच0 एवं केप्चर सिस्टम हेतु

## सामान्य शर्ते

भाग–1

1. निविदा, निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। निविदा सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाना चाहिए।
2. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत की राशि 20000/–रू0 (अंकनः– बीस हजार रूपया मात्र/–) बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन अधिकारी, नरसिंहपुर के नाम देय हो संलग्न करना आवश्यक है। बिना अमानत राशि निविदाएं स्वीकृति योग्य नहीं मानी जावेगी।
3. कार्य की गणना दिनों में की जावेगी, तथा 24 घण्टे का एक दिन माना जावेगा।
4. निविदादाता सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के निर्देश एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
5. निविदादाता द्वारा जो दर निविदा में प्रस्तुत की जावेगी, उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित है।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी, नरसिंहपुर को निगोशियन करने का तथा गुण–दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
7. निविदादाता से आयकर की नियमानुसार कटौती उन्हे प्रदाय की जाने वाली राशि के स्त्रोत पर काट ली जावेगी।
8. केन्द्रीय आबकारी विभाग में फर्म का पंजीकृत होना आवश्यक है।
9. निविदादाता को आयकर का स्थाई लेखा संख्या (PAN) एवं जीएसटी में पंजीकृत होना आवश्यक है।
10. निविदा कार्य जी.एस.टी. एवं पेन नम्बर न होने की स्थिति में निविदा अमान्य होगी।
11. किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. यदि किसी निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रकिया का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी, जिसका निविदादाता को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं उसकी कीमत पर किसी अन्य फर्म से कार्य लिया जावेगा।

13.भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के कारण अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण संशोधित चुनाव कार्यक्रम अनुसार निविदित (कांट्रेक्टेड) दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य रहेगा। संशोधित चुनाव कार्यक्रम के कारण तथा अवधि में होने वाली वृद्धि के लिए निविदादाता को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निवेदित दर को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा, जो निविदादाता को मान्य होगा।

14.निविदादाता अधिक जानकारी के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

15. निविदादाता के द्वारा सेटअप चालू करने एवं रख-रखाव, बेकअप तथा बेब कास्टिंग सहित सी.डी. या डी.वी.डी में बेब कास्टिंग डाटा स्टोर कर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।